प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 582/2007

अपीलार्थीगण (अभिरक्षा में) संजय यादव एवं अन्य

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय विचारार्थ:

हस्ताक्षरित/-
टी.पी.शर्मा
न्यायमूर्ति
दिनांक: 07.02.2011

माननीय श्री आर.एल.झंवर, न्यायमूर्ति:

मै सहमत हूँ
हस्ताक्षरित/-
आर.एल.झंवर
न्यायमूर्ति
दिनांक: 07.02.2011

निर्णय हेतु दिनांक: 07.02.2011 को सूचीबद्ध करें|

हस्ताक्षरित/-
टी.पी.शर्मा
न्यायमूर्ति
दिनांक: 07.02.2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

कोरम : मान्नीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

मान्नीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 582/2007

अपीलार्थीगण (अभिरक्षा में)

1. संजय यादव, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री – दिलीप यादव;

2. संदीप यादव, आयु लगभग 30 वर्ष, पिता – श्री दिलीप यादव;

दोनों निवासी – छोटा रामनगर, पंचू साहू का मकान, सल्हीवार पारा, गुढ़ियारी, जिला रायपुर (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी

छत्तीसगढ़ राज्य; द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना गुढ़ियारी, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपील ज्ञापन अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

उपस्थितः- श्री सुधीर वर्मा, अधिवक्ता, संहित श्री एस.बी. पटेल, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थिगण।
सुश्री मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता – राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(पारित दिनांक 07/02/2011)

निम्नलिखित न्यायालयीन-निर्णय मान्नीय **श्री टी.पी. शर्मा न्यायमूर्ति,** द्वारा पारित किया गया:-

1. यह अपील दिनांक 19/06/2007 के दोषसिद्धि के निर्णय एवं दण्डादेश के विरुद्ध है, जो कि 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक

351/2005 में पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अपीलार्थिगणों को सामान्य आशय में सुरेश की हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानव वध का अपराध कारित करने का दोषी पाते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा उन्हें आजीवन कारावास एवं ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने की दशा में प्रत्येक को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी संदीप यादव को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25(1-ख)(ख) के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया गया तथा उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं ₹500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न किए जाने की दशा में 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

2. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अपीलार्थिगणों को दोषसिद्ध करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य का कोई भी अंश उपलब्ध नहीं था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलार्थिगणों को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया, इसप्रकार अवैधता कारित किया गया।

3. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिनांक 18/08/2005 को लगभग अपराह्न 3:45 बजे दोनों अपीलार्थिगणों ने चाकू से सुरेश को घातक चोटें पहुँचाईं। वह अशोक नगर, गुढ़ियारी, रायपुर में घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी माता अ.सा.-1 कांति बाई उसे रामखिलावन के साथ पुलिस थाना गुढ़ियारी लेकर गई, जहाँ उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रदर्श पी-1 के अंतर्गत दर्ज कराई। सुरेश ने अ.सा.-1 कांति बाई एवं रामखिलावन के समक्ष मृत्युकालिक कथन भी दिया कि वर्तमान अपीलार्थिगणों ने उसे घातक चोटें पहुँचाई हैं। अनुरोध पत्र प्रदर्श पी-25 के अंतर्गत तैयार किया गया तथा मृत्यु से संबंधित सूचना प्रदर्श पी-24 के अंतर्गत दर्ज की गई। चिकित्सक द्वारा पुलिस थाना को यह सूचना दी गई कि मृतक अवस्था में अस्पताल लाया गया है। मर्ग सूचना प्रदर्श पी-16 एवं पी-17 के अंतर्गत दर्ज की गई। साक्षियों को तलब करने के पश्चात, सुरेश के शव का पंचनामा (इनक्वेस्ट) प्रदर्श पी-19 के अंतर्गत तैयार किया गया। शव को शव परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-7 के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर भेजा गया,। प्रदर्श पी-8 के अंतर्गत अ.सा.-9 एस.एन. मांझी ने शव परीक्षण किया, तथा निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

(i) बाएँ नितंब पर एक छुरा-घाव, माप 2.7 × 0.8 से.मी., जिसकी गहराई 13.5 से.मी. थी।
(ii) सामान्य इलिएक धमनी एवं सामान्य इलिएक शिरा कटी हुई पाई गई।
(iii) बाएँ अग्र-बाहु पर कटा हुआ घाव, माप 2.9 × 0.8 × 0.5 से.मी.।
(iv) बाएँ कलाई पर कटा हुआ घाव, माप 5 × 0.5 से.मी.।
(v) बाएँ कलाई पर कटा हुआ घाव, माप 2 × 0.2 से.मी.।
(vi) बाएँ अग्र-बाहु पर खरोंच, माप 5 × 0.1 से.मी.।
(vii) ललाट क्षेत्र पर खरोंच, माप 1.5 × 0.3 से.मी.।
(viii) बाएँ ललाट क्षेत्र पर खरोंच, माप 0.5 से.मी.।
(ix) घुटने पर 0.5 से.मी. व्यास की चोट पाई गई।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(x) बाएँ घुटने पर 0.5 × 0.1 से.मी. की चोट तथा बाएँ अंगूठे पर 0.3 से.मी. व्यास की चोट पाई गई।

(xi) पीठ, छाती एवं उदर पर खरोंचें पाई गईं।

(xii) दाएँ ठुड्डी पर 1 से.मी. व्यास की खरोंच पाई गई।

मृत्यु का कारण शॉक था तथा मृत्यु की प्रकृति मानव वध पाई गई।

4. घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 के अंतर्गत तैयार किया गया। घटनास्थल से रक्तरंजित एवं सादी मिट्टी प्रदर्श पी-5 के अंतर्गत जब्त की गई। विवेचना के दौरान अपीलार्थी संदीप यादव को अभिरक्षा में लिया गया। उसने चाकू (कटार) के संबंध में कथन प्रदर्श पी-6 के अंतर्गत दिया, जिसे अपीलार्थी संदीप यादव के कथनानुसार प्रदर्श पी-4 के अंतर्गत बरामद किया गया। अपीलार्थी संजय यादव के रक्तरंजित कपड़े प्रदर्श पी-9 के अंतर्गत जब्त किए गए। अपीलार्थी संदीप यादव के रक्तरंजित कपड़े प्रदर्श पी-10 के अंतर्गत जब्त किए गए। घटना के दौरान अपीलार्थिगणों ने एक गणेश पर भी हमला किया, जिसकी चिकित्सक द्वारा जाँच की गई तथा एक खरोंच पाई गई। मृतक के सीलबंद कपड़े एवं आंतरिक अंग (विसरा) प्रदर्श पी-22 एवं पी-23 के अंतर्गत जब्त किए गए। घटनास्थल का एक अन्य नक्शा भी प्रदर्श पी-26 के अंतर्गत तैयार किया गया। सीलबंद सामग्री को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-21 के अंतर्गत भेजा गया। अपीलार्थिगणों से जब्त किए गए चाकू एवं कपड़ों पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि प्रदर्श पी-30 के अंतर्गत की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप-पत्र अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात प्रकरण को सत्र न्यायालय, रायपुर को विचारण हेतु उपार्पण किया, जहाँ से विद्वान 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर (छ.ग.) ने विचारण हेतु स्थानांतरण पर प्रकरण प्राप्त किया।

6. अपीलार्थिगणों के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन द्वारा कुल 17 साक्षियों का परीक्षण किया गया। अपीलार्थिगणों का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत लिया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए उक्त अपराध में झूठा फँसाया जाना बताया।

7. उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर (छ.ग.) द्वारा अपीलार्थिगणों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया।

8. अपीलार्थिगणों की ओर से श्री सुधीर वर्मा, अधिवक्ता, साथ में श्री एस.बी. पटेल, अधिवक्ता, तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से सुश्री मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता को सुना गया। आक्षेपित निर्णय तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

9. अपीलार्थिगणों के विद्वान अधिवक्ता ने संवेगपूर्वक यह तर्क दिया कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलार्थिगणों ने

सामान्य आशय में सुरेश की हत्या की कोटी में आने वाला आपराधिक मानव वध कारित किया है। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह सिद्ध हो कि अपीलार्थी संजय यादव ने सामान्य आशय में मृतक सुरेश को कोई भी चोट पहुँचाई हो; अतः भारतीय दण्ड संहिता की धारा 34 की सहायता से अपीलार्थी संजय यादव की दोषसिद्धि एवं दण्डादेश विधि के अंतर्गत चलने योग्य (संधारणीय) नहीं है।

10. अपीलार्थिगणों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि अ.सा.-2 गणेश यादव, अ.सा.-4 खेडू दास, अ.सा.-5 दुलार दास एवं अ.सा.-10 रोहित उर्फ संजय यादव—कथित चक्षुदर्शी साक्षियों की गवाही विश्वसनीय एवं विश्वास को प्रेरित नहीं करती है; वे शत्रुतापूर्ण एवं हितबद्ध साक्षी हैं तथा संयोगवश उपस्थित (चांस) साक्षी हैं। अंत में, अपीलार्थिगणों के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि तुच्छ विवाद के कारण अपीलार्थी संदीप यादव ने अचानक मृतक सुरेश के नितंब पर चोट पहुँचाई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसने सुरेश की मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुँचाई; अतः यदि अभियोजन के साक्ष्य को उसके यथास्वरूप में भी स्वीकार कर लिया जाए, तो भी वे इतने पर्याप्त नहीं हैं कि उनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वर्तमान अपीलार्थिगणों ने सुरेश की हत्या की कोटी में आने वाला आपराधिक मानव वध किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. दूसरी ओर, राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान लोक अभियोजक ने अपील का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रथमतः अपीलार्थिगणों ने अ.सा.-2 गणेश यादव को रोका तथा उसी समय उसे गालियाँ दे रहे थे। उसी दौरान सुरेश (अब मृत) घटना स्थल के निकट आया और उसने अपीलार्थिगणों को गंदी भाषा का प्रयोग करने से रोका, तत्पश्चात दोनों अपीलार्थिगणों ने सुरेश पर हमला किया। अपीलार्थी संजय यादव अपने घर गया और चाकू लेकर आया, तत्पश्चात उसने चाकू से मृतक सुरेश पर हमला किया। अपीलार्थी संदीप यादव ने भी अ.सा.-2 गणेश यादव पर चाकू से हमला किया तथा उसका पीछा किया, तत्पश्चात वह घटना स्थल से भाग गया। ये साक्ष्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों अपीलार्थिगणों ने सामान्य आशय में सुरेश की मृत्यु कारित करने के आशय से हत्या की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थिगणों को उपर्युक्तानुसार सही रूप से दोषसिद्ध एवं दण्डित किया गया है।

12. उभयपक्षो की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के विवेचन हेतु, हमने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

13. वर्तमान प्रकरण में, सुरेश के शरीर पर पाए गए घातक चोटों के परिणामस्वरूप हुई मानव वध को अपिलार्थिगणों की ओर से विशेष रूप से विवादित नहीं किया गया है; दूसरी ओर, अ.सा. 9 डॉ. एस.एन. मांझी के साक्ष्य तथा शव-परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श पी -8 से भी यह स्थापित होता है कि मृत्यु मानव वध की प्रकृति की थी।

14. जहाँ तक अपराध में अपिलार्थिगणों की संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि मुख्यतः अ.सा. 2 गणेश यादव, अ.सा. 3 रामखिलावन यादव, अ.सा. 4 खेदू दास, अ.सा. 5 दुलार दास एवं अ.सा. 10 रोहित उर्फ संजय यादव के साक्ष्यों पर आधारित है। उनके साक्ष्य के अनुसार, उन्होंने घटना

को देखा है और वे चक्षुदर्शी हैं। अ.सा. 2 गणेश यादव ने अपने साक्ष्य में बयान दिया कि घटना के समय वह दुर्गा मंदिर से अपने घर जा रहा था, तभी अपिलार्थिगणों ने उसे रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज की। उसी समय उसका चचेरा भाई सुरेश (अब मृत) वहाँ आया। उसने अपिलार्थिगणों द्वारा अपशब्दों के प्रयोग का विरोध किया, तब दोनों अपिलार्थिगणों ने सुरेश पर हमला कर दिया। इसके पश्चात अपीलार्थी संजय यादव अपने घर की ओर दौड़ा और चाकू लेकर आया तथा चाकू से सुरेश पर वार किया। अपीलार्थी संदीप यादव ने इस गवाह की कमर पर चाकू से हमला किया, तत्पश्चात वह भागा, अपिलार्थिगणों ने उसका पीछा किया। बाद में उसे पता चला कि उसका चचेरा भाई सुरेश घायल अवस्था में है और अन्य लोग उसे पुलिस थाना ले जा रहे हैं। वह भी पुलिस थाना और अस्पताल गया।

15. अ.सा. 3 रामखिलावन यादव ने अ.सा. 2 गणेश यादव के साक्ष्य का पर्याप्त रूप से समर्थन किया है और यह बयान दिया है कि उसे सुरेश के घायल होने की जानकारी हुई थी। अ.सा. 4 खेदू दास ने भी अ.सा. 2 गणेश यादव के साक्ष्य की पुष्टि की है और विशेष रूप से यह बयान दिया है कि अपीलार्थी संजय यादव अपने घर से चाकू लेकर आया और सुरेश की पीठ पर चाकू से चोट पहुँचाई। इसके बाद सुरेश स्थान से भागने का प्रयास करने लगा, तब अपीलार्थी संजय यादव ने उसे पकड़ लिया और अपीलार्थी संदीप यादव ने संजय यादव से चाकू छीनकर सुरेश के पेट पर बार-बार चाकू से हमला किया। जब गणेश यादव उसे बचाने का प्रयास कर रहा था, तब संदीप यादव ने गणेश यादव की कमर पर भी चाकू से हमला किया। अपीलार्थी संदीप यादव ने गणेश यादव का पीछा भी किया और लगभग 20–25 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुँची। अ.सा. 5 दुलार दास ने अ.सा. 4 खेदू दास के साक्ष्य का समर्थन किया है। अ.सा. 10 रोहित उर्फ संजय यादव ने भी अ.सा. 3 रामखिलावन यादव एवं अ.सा. 4 खेदू दास के साक्ष्यों का समर्थन किया है।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अ.सा. 1 कांतीबाई, मृतक सुरेश की माता, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि जब वह घायल सुरेश को अस्पताल ले जा रही थी, तब पूछने पर सुरेश ने बताया कि अपीलार्थी संदीप यादव और संजय यादव ने उस पर चाकू से हमला किया है। इसके पश्चात वह पुलिस थाना गई और प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी-1 दर्ज कराई। जब वह अपने पुत्र सुरेश को अस्पताल ले जा रही थी, तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। अ.सा. 3 रामखिलावन यादव ने भी ऑटो-रिक्शा में मृतक सुरेश द्वारा दिए गए मृत्युकालिक कथन के संबंध में अ.सा. 1 कांतीबाई के साक्ष्य का समर्थन किया है, किंतु जिरह में उसने स्वीकार किया कि जब वे घायल सुरेश को ऑटो-रिक्शा में ले जा रहे थे, तब वह अचेत अवस्था में था और बोलने की स्थिति में नहीं था। उसके साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया अ.सा. 1 कांतीबाई, घायल सुरेश की माता, अपने पुत्र सुरेश को ऑटो-रिक्शा से पुलिस थाना और अस्पताल ले जा रही थी और उस समय वह भी साथ था। उस समय सुरेश ने मृत्यु पूर्व कथन दिया, इसके पश्चात वह अचेत हो गया और फिर उसे होश नहीं आया।

17. बचाव पक्ष ने अ.सा. 2 गणेश यादव, अ.सा. 4 खेदू दास, अ.सा. 5 दुलार दास एवं अ.सा. 10 रोहित उर्फ संजय यादव से विस्तार से जिरह की है। उनके पुलिस बयानों में कुछ विसंगतियाँ, विरोधाभास एवं लोप पाई जाती है, विशेष रूप से इस तथ्य से संबंधित कि अपीलार्थी संजय

यादव ने सुरेश को पकड़ रखा था, तत्पश्चात संदीप यादव ने चाकू से सुरेश पर हमला किया। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज बयान के अनुसार, अ.सा. 4 खेदू दास (प्रदर्श डी-3) तथा अ.सा. 5 दुलार दास (प्रदर्श डी -4) के अनुसार, घटना के समय दोनों अपिलार्थिगणों ने सुरेश से झगड़ा किया, तत्पश्चात अपीलार्थी संजय यादव अपने घर गया और चाकू लेकर आया तथा चाकू से सुरेश पर हमला किया। इसके बाद अपीलार्थी संदीप यादव ने संजय यादव से चाकू छीन लिया और अ.सा. 2 गणेश यादव का पीछा किया तथा उसे चोट पहुँचाई। इन गवाहों के संपूर्ण साक्ष्य को अतिशयोक्ति, विरोधाभास एवं लोप के आधार पर पूर्णतः त्यक्त नहीं किया जा सकता।

18. साक्ष्य की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते समय, ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य के संबंध में जिसने कुछ हद तक अतिशयोक्ति की हो अथवा धैर्यपूर्वक कुछ झूठे कथन दिए हों, उच्चतम न्यायालय ने **लक्ष्मण एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**[1] के प्रकरण में यह निर्णय दिया है कि गवाहों को पूर्ण रूप से झूठा घोषित नहीं किया जा सकता और उनके बयान को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उनके कथनों के कुछ भाग स्पष्ट रूप से गलत या संदिग्ध हों। सुसंगत अंश इस प्रकार है:–

> "साक्ष्य पर आगे चर्चा करने से पहले, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि प्रोफेसर म्युनस्टरबर्ग ने अपनी पुस्तक '*ऑन द विटनेस स्टैंड*' (पृष्ठ 51), '*लॉ एंड द मोर्डेन माइंड*' (1949 संस्करण, पृष्ठ 106) में ऐसे प्रयोगों के उदाहरण दिए हैं, जिनमें अचानक, अप्रत्याशित, पूर्व-नियोजित घटनाओं का मंचन किया गया और उसके बाद व्यक्तियों से शीघ्र ही यह लिखने के लिए कहा गया कि उन्होंने क्या देखा और सुना। इसका चौंकाने वाला परिणाम यह निकला कि—
>
> 'जो लोग छोटे से घटनाक्रम के दौरान पूरे मौन दर्शक बने रहे, उनके मुख में शब्द डाल दिए गए; ऐसे कार्य मुख्य प्रतिभागियों के नाम कर दिए गए जिनका कोई भी संकेत मौजूद नहीं था; और दुखद–कॉमेडी के मुख्य और आवश्यक हिस्से अनेक गवाहों की स्मृति से पूरी तरह मिट गए।'
>
> अतः प्रोफेसर ने निष्कर्ष निकाला: 'हम कभी नहीं जानते, न ही कल्पना कर सकते।' इसलिए गवाहों को पूर्णतः झूठा ठहराकर उनके साक्ष्य को पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, भले ही उनके कथनों के कुछ भाग प्रमाणित रूप से गलत या संदिग्ध हों। एक चतुर न्यायाधीश स्वीकार्य सत्य के दानों को अतिशयोक्ति और अविश्वसनीय बातों के भूसे से अलग कर सकता है, जिन्हें सुरक्षित या विवेकपूर्ण ढंग से स्वीकार या उन पर कार्य नहीं किया जा सकता। आवश्यक रूप से अपूर्ण मानवीय साक्ष्य के मूल्यांकन में यह कहना सामान्य बुद्धि के विपरीत नहीं है कि 'एक बात में झूठा, तो सब में झूठा' के सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू करने से इनकार किया जाए।"

19. वर्तमान प्रकरण में, अ.सा. 1 कांतीबाई, अ.सा. 2 गणेश यादव, अ.सा. 3 रामखिलावन यादव, अ.सा. 4 खेदू दास, अ.सा. 5 दुलार दास तथा अ.सा. 10 रोहित उर्फ संजय यादव के

[1] ए.आई.आर.1974 एस.सी.308

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

साक्ष्य के अनुसार प्रारंभ में दोनों अपिलार्थिगणों का सुरेश से झगड़ा हुआ, इसके पश्चात अपीलार्थी संजय यादव अपने घर गया और चाकू लेकर आया तथा उसने सुरेश की पीठ पर चाकू से वार किया। अ.सा. 4 खेदू दास एवं अ.सा. 5 दुलार दास ने आगे बयान दिया कि सुरेश को चोट पहुंचाने के बाद अपीलार्थी संजय यादव ने सुरेश को पकड़ लिया और अपीलार्थी संदीप यादव ने संजय यादव से चाकू छीनकर सुरेश पर चाकू से हमला किया। किन्तु साक्ष्य का यह भाग उनके पूर्व कथनों से, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए थे (प्रदर्श डी-3 एवं डी-4), समर्थित नहीं होता। बल्कि उनके साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी संदीप यादव ने चाकू छीना और अ.सा. 2 गणेश यादव के पीछे दौड़ा, जो घटना स्थल से भाग गया था। शव परीक्षण रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि सुरेश के नितंब पर पाई गई चोट स्वभाव से घातक थी और वही सुरेश की मृत्यु का कारण बनी। उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य, जो उनके पूर्व कथनों से समर्थित हैं, अन्य अतिरंजित साक्ष्यों से अलग किए जा सकते हैं और उन पर भरोसा करना सुरक्षित है। इन गवाहों का साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि प्रारंभ में दोनों अपिलार्थिगणों का अ.सा. 2 गणेश यादव से झगड़ा हुआ, जिसका मृतक सुरेश ने विरोध किया और बाद में वे सुरेश से भी झगड़ पड़े। झगड़े के दौरान अपीलार्थी संजय यादव अपने घर गया और चाकू लेकर आया, तत्पश्चात उसने सुरेश पर हमला किया और घातक चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सुरेश को पकड़ने के संबंध में अपीलार्थी संजय यादव द्वारा तथा अपीलार्थी संदीप यादव द्वारा चोट पहुंचाने के संबंध में दिया गया साक्ष्य, गवाहों के पूर्व कथनों से समर्थित नहीं है और इस भाग पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। तथापि, उपर्युक्त साक्ष्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी संजय यादव ने सुरेश की हत्या की तथा वह प्रतिबंधित हथियार के कब्जे में था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20. जहाँ तक हेतुक तथा सामान्य आशय में हत्या कारित करने के प्रश्न का संबंध है, यद्यपि यह घटना झगड़े के दौरान हुई, तथापि अपिलार्थिगणों का सुरेश को चोट पहुँचाने का कोई पूर्व आशय नहीं था, क्योंकि सुरेश प्रारंभ में घटना स्थल पर उपस्थित ही नहीं था। उस समय वे अ.सा. 2 गणेश यादव से झगड़ा कर रहे थे और उसी का विरोध किया गया था। जब सुरेश घटना स्थल पर आया, तब उन्होंने सुरेश से भी झगड़ा किया, किन्तु झगड़े के समय अपीलार्थी संजय यादव ने न तो हाथों से, न मुक्कों से और न ही घटना स्थल के आसपास पड़ी किसी वस्तु से कोई चोट पहुँचाई, बल्कि अपीलार्थी संजय यादव अपने घर गया और चाकू लेकर आया तथा उसने सुरेश के नितंब पर चाकू से वार किया। चाकू के वार की गहराई 13.5 सेंटीमीटर थी, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य धमनी और शिरा कट गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी संजय यादव ने घातक चोट पहुँचाई, जिसके फलस्वरूप सुरेश की मृत्यु हुई। यह ऐसा मामला नहीं है कि अपीलार्थी संजय यादव ने अचानक ऐसी चोट पहुँचाई हो, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि जब अपीलार्थी संजय यादव चाकू लाया और सुरेश को चोट पहुँचाई, उस समय अपीलार्थी संदीप यादव, जिसके पास कोई हथियार नहीं था, को यह जानकारी थी कि अपीलार्थी संजय यादव अपने घर से चाकू लाएगा और सुरेश को घातक चोट पहुँचाएगा। अतः यह मानना कठिन है कि अपीलार्थी संदीप यादव ने अपीलार्थी संजय यादव के साथ मिलकर सुरेश की हत्या करने के लिए सामान्य आशय रखा था। इसके पश्चात, अपीलार्थी संदीप यादव के कथन पर चाकू बरामद किया गया, जैसा कि प्रदर्श पी-4 से स्पष्ट है, जो प्रतिबंधित माप का था। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य

इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलार्थी संजय यादव ने सुरेश की हत्या उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से की, किन्तु अभियोजन का साक्ष्य इस निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं है कि सह-अभियुक्त संदीप यादव ने ऐसी हत्या कारित करने में सामान्य आशय रखा था। तथापि, बाद में वह प्रतिबंधित हथियार, अर्थात चाकू, के कब्जे में पाया गया।

21. भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपिलार्थिगणों को दोषसिद्ध करते समय, विद्वान 12वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), रायपुर (छ.ग.) ने उपर्युक्त गवाहों के साक्ष्य पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज उनके पूर्व कथनों के आलोक में, विचार नहीं किया और इस प्रकार अवैधता कारित किया।

22. उपर्युक्त कारणों से, प्रस्तुत दांडिक अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-ख)(ख) के अंतर्गत अपीलार्थी **संदीप यादव** की दोषसिद्धि एवं सजा यथावत रखी जाती है। अपीलार्थी **संजय यादव** की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि को परिवर्तित कर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत किया जाता है और उसे आजीवन कारावास तथा ₹500/- के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अपीलार्थी **संदीप यादव** की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत की गई दोषसिद्धि एवं सजा को निरस्त किया जाता है। चूँकि अपीलार्थी संदीप यादव आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1-ख)(ख) के अंतर्गत दी गई सजा पूर्ण कर चुका है, अतः यदि वह किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-	**हस्ताक्षरित/-**
टी. पी. शर्मा	**आर. एल. झंवर**
न्यायमूर्ति	न्यायमूर्ति
दिनांक: 07/02/2011	दिनांक: 07/02/2011

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated खय ...... RANJAN GUPTA, ADVOCATE